

दीपेश चंदक

बनाम

भारत संघ

17 सितंबर, 2004

[एस. एन. वरियावा और ए. के. माथुर, न्यायमूर्ति गण]

*दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 306(2), 308-क्षमा प्रदान करना- आयकर अधिनियम के तहत निधियों के दुर्विनियोग के अपराध के लिए-अभिनिर्धारित, आयकर अधिनियम के तहत गलत विवरणी दाखिल करने के अपराधों पर लागू नहीं माना गया।*

बिहार के पशुपालन विभाग में चारा घोटाले से संबंधित कई मामलों में आरोपी अपीलकर्ता पर निधि दुर्विनियोग और आपूर्ति के लिए फर्जी बिल जारी करके राज्य के खजाने से धोखाधड़ी से धन निकालने का आरोप लगाया गया था।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने उसे इस शर्त पर क्षमादान दिया कि वह पूरी जानकारी दे। उसके बयान के आधार पर, आयकर उपायुक्त, केंद्रीय अंचल-1, पटना ने कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उसके खिलाफ आयकर अधिनियम के तहत गलत आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए मुकदमा चलाया जाए।

अपीलकर्ता ने जवाब में कहा कि उसे आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत क्षमादान दिया गया है। आयकर आयुक्त ने कहा कि क्षमा केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों तक ही सीमित है और आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत शिकायत का मामला दर्ज किया गया। आर्थिक अपराध न्यायालय, पटना ने संज्ञान लिया और सम्मन जारी किया।

इस शिकायत को रद्द करने के लिए अपीलकर्ता की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि अभी तक क्षमादान की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब तक अपीलकर्ता द्वारा पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते और सभी मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह अभियुक्त बना रहेगा और इसलिए अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान दिया गया है, कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306(2) के अंतर्गत क्षमादान, अन्य बातों के अलावा, सात वर्ष या उससे अधिक तक के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध के संबंध में है, कि ऐसी क्षमादान केवल भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य कानूनों के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए भी लागू होगी, कि धारा 277 और 278 के अंतर्गत आने वाले अपराध के लिए सजा सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, कि क्षमादान के आधार पर अपीलकर्ता के विरुद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कोई अभियोजन नहीं चलाया जा सकता था, कि उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि अभी तक अपीलकर्ता पर आरोप लगाया गया था, कि क्षमादान तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 308 के अंतर्गत रद्द नहीं कर दिया जाता, कि क्षमादान का अनिवार्य रूप से यह अर्थ होना चाहिए कि उसी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन आधारित हो सकता है, और जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया जा रहा था, वे वही थे जिनके संबंध में वह आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की जा रही थी।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि जिन अभियोजनों के संबंध में क्षमा प्रदान की गई थी, वे पशुपालन विभाग को कभी भी की गई आपूर्ति के संबंध में फर्जी बिल बनाकर पशुपालन विभाग के धन के दुर्विनियोग के लिए थे, तथा अभियोजन का झूठे विवरणी दाखिल करने और आयकर विवरणी में गलत बयान देने से कोई लेना-देना नहीं था।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. धन के दुर्विनियोग के अपराध के लिए क्षमादान प्रदान किया गया है। इस अपराध का अपीलकर्ता द्वारा झूठे विवरणियां दाखिल करने से कोई संबंध नहीं है। वर्ष 1961 के अधिनियम की धारा 277 एवं 278 के अंतर्गत अभियोजन झूठा विवरणी दाखिल करने तथा मिथ्या घोषणा करने से संबंधित है। प्रदान किया गया क्षमादान उन अपराधों को आच्छादित नहीं करता। (499-जी, एच; 500-ए)

2. क्षमा का लाभ पाने के लिए अपीलकर्ता को गबन के अपराधों के बारे में पूर्ण और स्पष्ट खुलासा करना होगा। यदि वह पूर्ण और संपूर्ण खुलासा नहीं करता है, तो क्षमा रद्द की जा सकती है। यदि वह पूर्ण और संपूर्ण खुलासा करता है, तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत अभियोजन में दोषी ठहराए जाने की संभावना का सामना

करना पड़ सकता है। संविधान का अनुच्छेद 20(2) यह व्यवस्था देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अभियोजन जारी रखना अपीलकर्ता को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य करने या क्षमा रद्द होने का जोखिम उठाने के समान होगा क्योंकि वह अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के डर से पूर्ण और संपूर्ण खुलासा नहीं कर सकता। इस प्रकार, भले ही क्षमा इन अपराधों पर लागू न हो, यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ सरकार को इन धाराओं के तहत अपीलकर्ता पर मुकदमा न चलाने पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार मुकदमा चलाने पर ज़ोर देने से चारा घोटाला मामलों में बहुमूल्य साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं। [500-बी, सी, डी]

[न्यायालय ने निर्देश दिया कि आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के अंतर्गत अभियोजन तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि उन मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती जिनमें क्षमादान दिया गया है। यदि अपीलकर्ता पूर्ण और सम्पूर्ण जानकारी दे देता है, तो धारा 277 और 278 के अंतर्गत अभियोजन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और अपीलकर्ता को उस स्तर पर उस अभियोजन को रद्द करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।] (500-ई)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2004 की आपराधिक अपील सं. 1032

पटना उच्च न्यायालय के 2001 की अपराध संख्या 6300 में दिनांक 21.3.2002 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए एम. एल. लाहोटी, पबन कु. शर्मा और हिमांशु शेखर।

उत्तरदाता की ओर से के. पी. पाठक और बी. दत्ता, अपर महाधिवक्ता, सुश्री संध्या गोस्वामी, बी. वी. बलराम दास, सुश्री रेवती राघवन और पी. परमेश्वरन।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति एस. एन. वरियावा द्वारा दिया गया था : अनुमति प्रदान की गई।

यह अपील पटना उच्च न्यायालय के 21 मार्च, 2002 के निर्णय के विरुद्ध है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता बिहार के पशुपालन विभाग में हुए चारा घोटाले से संबंधित कई मामलों में

अभियुक्त है। उस पर, अन्य लोगों के साथ, पशुपालन विभाग के धन के दुर्विनियोग और पशुपालन विभाग को कभी की ही नहीं गई आपूर्ति के लिए फर्जी बिल जारी करके राज्य के खजाने से धोखाधड़ी से धन निकालने का आरोप है। अपीलकर्ता को 28 अगस्त, 1998 को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने इस शर्त पर क्षमादान दिया था कि वह पूरी जानकारी दे।

अपीलकर्ता के बयान के आधार पर, आयकर उपायुक्त, केंद्रीय अंचल-1, पटना ने अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उसके खिलाफ आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत गलत आयकर विवरणी दाखिल करने के आरोप में मुकदमा चलाया जाए। अपीलकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए *अन्य बातों के साथ-साथ* यह भी कहा कि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत क्षमादान दिया गया है और इस प्रकार आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत अपराध के लिए कारण बताओ नोटिस विचारणीय नहीं है। आयकर आयुक्त ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि क्षमादान केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों तक ही सीमित है। तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत एक शिकायत मामला संख्या 157(सी)/2000 दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध न्यायालय, पटना ने संज्ञान लिया है और सम्मन जारी किया है।

अपीलकर्ता ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत एक याचिका दायर की। इस आक्षेपित निर्णय द्वारा, उस याचिका को, *अन्य बातों के साथ-साथ*, इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि अभी तक क्षमादान की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। यह माना गया है कि जब तक अपीलकर्ता द्वारा पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते और सभी मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह अभियुक्त बना रहेगा और इसलिए अभियोजन से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकता।

अपीलकर्ता की ओर से श्री लाहोटी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत क्षमादान दिया गया है। उन्होंने दलील दी कि धारा 306 की उप-धारा 2 के तहत, अन्य बातों के अलावा, सात साल या उससे अधिक की कैद से दंडनीय किसी भी अपराध के लिए क्षमादान दिया जाता है। उन्होंने दलील दी कि ऐसी क्षमादान केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य कानूनों के तहत अपराधों के लिए भी लागू होगी। उन्होंने दलील दी कि धारा 277 और 278 के तहत अपराध के लिए सजा सात साल तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने दलील दी कि इस क्षमादान के आधार पर,

अपीलकर्ता के खिलाफ इन धाराओं के तहत कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था।

श्री लाहोटी ने *बिपिन बिहारी सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* के मामले पर अवलम्बन किया, जो [1959] एससीआर 1324 में प्रतिवेदित है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है:

"संहिता की धारा 339(1) में यह प्रावधान है कि "जहां धारा 337 या धारा 338 के अंतर्गत क्षमा प्रदान की गई है और लोक अभियोजक यह प्रमाणित करता है कि उसकी राय में किसी व्यक्ति ने, जिसने ऐसी क्षमा स्वीकार की है, या तो जानबूझकर कोई आवश्यक बात छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर, उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर क्षमा प्रदान की गई थी, ऐसे व्यक्ति पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए क्षमा प्रदान की गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए वह उसी मामले के संबंध में दोषी प्रतीत होता है"। इस उपधारा का परंतुक ऐसे व्यक्ति पर किसी अन्य अभियुक्त के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है और ऐसा व्यक्ति ऐसे मुकदमे में यह अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उस शर्त का पालन किया था जिस पर ऐसी क्षमा प्रदान की गई थी। इस धारा के प्रावधान स्पष्ट रूप से यह पूर्वकल्पना करते हैं कि किसी व्यक्ति को दी गई क्षमा उसके द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और उसके बाद उस व्यक्ति ने जानबूझकर कोई आवश्यक बात छिपाई थी या मिथ्या साक्ष्य दिया था और इसलिए उसने उस शर्त का पालन नहीं किया था जिस पर उसे क्षमा प्रदान की गई थी। संहिता की धारा 337, जिसके अंतर्गत क्षमा प्रदान की जाती है, दर्शाती है कि ऐसी क्षमा इस शर्त पर की जाती है कि जिस व्यक्ति को क्षमा प्रदान की जाती है वह अपराध से संबंधित अपनी जानकारी में सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण करेगा और अपराध के लिए मुख्य व्यक्ति या दुष्प्रेरक के रूप में संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को भी सूचित करेगा। इस धारा की उपधारा (2) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसने क्षमा प्रदान की है, उसकी अपराध का संज्ञान लेने वाले दंडाधिकारी के न्यायालय में और उसके बाद के परीक्षण में, यदि कोई हो, साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि केवल क्षमादान देने पर धारा 339 के प्रावधान लागू नहीं होते। इसकी स्वीकृति होनी चाहिए और जिस व्यक्ति ने क्षमादान स्वीकार

किया है, उसकी साक्षी के रूप में जाँच की जानी चाहिए। इसके बाद ही धारा 339 के प्रावधान लागू होते हैं और क्षमादान स्वीकार करने वाले व्यक्ति पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए क्षमादान दिया गया था, यदि लोक अभियोजक यह प्रमाणित करता है कि उसकी राय में उसने या तो जानबूझकर कोई आवश्यक बात छिपाई है या झूठी गवाही दी है और जिस शर्त पर क्षमादान दिया गया था, उसका पालन नहीं किया है।

इस मामले का हवाला देते हुए, श्री लाहोटी ने दलील दी कि उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि अपीलकर्ता अभी भी अभियुक्त है। उन्होंने दलील दी कि क्षमादान तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 308 के तहत रद्द नहीं कर दिया जाता।

श्री लाहोटी ने *स्टेट बनाम हीरालाल जी. कोठारी एवं अन्य*, [1960] 2 एस.सी.आर. 355, के निर्णय पर भी अवलम्बन किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जिस व्यक्ति को क्षमादान प्रदान किया जाता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्ण सत्य का प्रकटीकरण करे, जिसमें उस अपराध के किए जाने के क्रम में किए गए किसी अन्य सहायक अपराध का विवरण भी सम्मिलित हो, जिसके लिए क्षमादान प्रदान किया गया है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्रदत्त क्षमादान में सहायक अपराध भी सम्मिलित होना चाहिए, यद्यपि यदि केवल सहायक अपराध ही किया गया हो तो उसके लिए पृथक रूप से क्षमादान प्रदान नहीं किया जा सकता था। उन्होंने *हरूमल परमानन्द बनाम सम्राट*, ए.आई.आर. 1915 सिंध 43, के निर्णय पर भी अवलम्बन किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि एक से अधिक अपराध हों और उनमें से कोई एक अपराध ऐसा हो जो केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, तो अन्य आरोपित अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय न होने पर भी क्षमादान प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने आगे *शिआम सुन्दर बनाम सम्राट*, ए.आई.आर. 1921 इलाहाबाद 234, के निर्णय पर भी अवलम्बन किया, जिसमें एक डकैती प्रकरण में एक अनुमोदनकर्ता (अपूवर) द्वारा यह भी प्रकट किया गया कि गिरोह द्वारा रखे गए हथियार कहाँ रखे गए थे। डकैती प्रकरण से मुक्त किए जाने के पश्चात उसे शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत शस्त्रों के कब्जे के लिए अभियोजित किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि शस्त्रों एवं गोला-बारूद का अवैध कब्जा डकैती से संबंधित अपराध था। यह भी कहा गया कि शस्त्र उसके व्यवसाय एवं अपराध के उपकरण थे और शस्त्रों के कब्जे को डकैती के अपराध से पृथक करना असंभव था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वह

गिरोह द्वारा रखे गए शस्त्रों का उल्लेख किए बिना डकैती के अपराध के संबंध में पूर्ण एवं सत्य प्रकटीकरण नहीं कर सकता था। अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसके विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि क्षमादान उस कृत्य को भी आच्छादित करता है। इस प्रकरण में यह भी इंगित किया गया कि यदि, तथापि, उसने ऐसे किसी अन्य गंभीर अपराध के संबंध में प्रकटीकरण किया हो जो उस अपराध से संबंधित न हो जिसके लिए उसका अभियोजन किया गया है, तो यद्यपि वह अपराध क्षमादान के अंतर्गत नहीं आता, न्यायालय को अभियोजन को यह अनुशंसा करनी चाहिए कि उस अन्य अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कार्यवाही न की जाए।

श्री लाहोटी ने राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) बनाम प्रेम राज के वाद का भी हवाला दिया, जो [2003] 7 एससीसी 121 में सूचित किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने क्षमादान की शक्ति और सजा कम करने की शक्ति पर चर्चा की है। हमारे विचार से, इस प्राधिकार का इस प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री लाहोटी ने दलील दी कि क्षमादान का अनिवार्यतः यह अर्थ होना चाहिए कि इस छोटे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने दलील दी कि जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया जा रहा था, वे वही अपराध थे जिनके लिए अब उस पर आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत मुकदमा चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दलील दी कि इस प्रकार, अभियोजन को रद्द न करके उच्च न्यायालय गलत था।

दूसरी ओर, अपर सॉलिसिटर जनरल श्री पाठक और अपर सॉलिसिटर जनरल श्री बी दत्ता ने दलील दी कि जिन अभियोजनों के संबंध में क्षमा प्रदान की गई थी, वे पशुपालन विभाग को कभी भी आपूर्ति किए गए आपूर्तियों के संबंध में फर्जी बिल बनाकर पशुपालन विभाग के धन के दुर्विनियोग के लिए थे। उन्होंने दलील दी कि उस अभियोजन का गलत विवरणी दाखिल करने और आयकर विवरणी में गलत बयान देने से कोई लेना-देना नहीं था। *जसबीर सिंह बनाम विपिन कुमार जग्गी* के मामले [2001] 8 एससीसी 289 पर अवलम्बन किया गया, जिसमें सवाल यह था कि क्या एक व्यक्ति जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 64 (1) के तहत प्रतिरक्षा प्रदान की गई है, को एक गवाह के रूप में जांचा जा सकता है, भले ही वह आपराधिक मामले में अभियुक्त था। विचारण न्यायाधीश ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 या धारा 321 के तहत क्षमादान न

दिए जाने की स्थिति में किसी अभियुक्त से अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की जा सकती। इस न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के तहत प्रयोग की गई शक्तियों और धारा 64 के तहत सरकार द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों के बीच कोई टकराव नहीं है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि टकराव होता भी है, तो स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 एक विशेष और बाद में पारित अधिनियम होने के कारण, धारा 64 ही मान्य होगी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 64 के तहत दी गई उन्मुक्ति के आधार पर अभियुक्त द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है।

हमारे विचार में, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष सही नहीं था कि जब तक अपीलकर्ता द्वारा साक्ष्य नहीं दिए जाते तब तक क्षमा लागू नहीं हो सकती। हालांकि, तथ्य यह है कि धारा 306 दं. प्र. सं. के तहत उस अपराध के संबंध में क्षमा प्रदान की जाती है जिसके लिए उसे एक आरोपी के रूप में आरोपित किया गया था। बेशक, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के संबंध में केवल क्षमा आवश्यक नहीं है। किसी व्यक्ति पर उसी लेनदेन या कार्य के संबंध में भारतीय दंड संहिता और किसी अन्य अधिनियम के तहत आरोप लगाया जा सकता है, उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। क्षमा उस लेनदेन से संबंधित सभी अपराधों के संबंध में लागू होगी। हालांकि, क्षमा उस लेनदेन या कार्य के संबंध में लागू नहीं होती है जो उस अपराध से पूरी तरह से असंबद्ध है जिसके संबंध में क्षमा प्रदान की गई है। इस मामले में, धन के दुर्विनियोग के अपराध के लिए क्षमा प्रदान की गई है। इस अपराध का अपीलकर्ता द्वारा गलत विवरणी दाखिल करने से कोई लेना-देना नहीं है। धारा 277 और 278 के तहत अभियोजन झूठा विवरणी दाखिल करने और झूठी घोषणा करने के संबंध में है। जो क्षमादान दिया गया है, वह इन अपराधों को कवर नहीं करेगा।

हालांकि, यह स्पष्ट है कि क्षमा का लाभ पाने के लिए अपीलकर्ता को गबन के अपराधों के बारे में पूर्ण और स्पष्ट खुलासा करना होगा। यदि वह पूर्ण और संपूर्ण खुलासा नहीं करता है, तो क्षमा रद्द की जा सकती है। यदि वह पूर्ण और संपूर्ण खुलासा करता है तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत अभियोजन में दोषी ठहराए जाने की संभावना का सामना करना पड़ता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(2) यह व्यवस्था देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अभियोजन जारी रखना अपीलकर्ता को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर करने या क्षमा रद्द होने का जोखिम उठाने के समान होगा क्योंकि वह दूसरे मामले में दोषी ठहराए जाने के डर से पूर्ण और संपूर्ण खुलासा नहीं कर सकता है। इस

प्रकार, भले ही क्षमा इन अपराधों तक विस्तारित न हो, हमारे विचार से, यह एक उपयुक्त मामला है जहां सरकार को इन धाराओं के तहत अपीलकर्ता पर मुकदमा न चलाने पर विचार करना चाहिए। इस तरह मुकदमा चलाने पर जोर देने से चारा घोटाला मामलों में मूल्यवान सबूत खो सकते हैं।

इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 277 और 278 के तहत अभियोजन तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि उन मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती जिनमें क्षमादान दिया गया है। यदि अपीलकर्ता पूर्ण और संपूर्ण जानकारी देता है, तो हमारे विचार से, धारा 277 और 278 के तहत उसके अभियोजन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, हम अपीलकर्ता को उस स्तर पर उस अभियोजन को रद्द करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

तदनुसार, अपील को उपरोक्त निर्देशों के साथ निपटाया जाता है।

अपील का निपटारा कर दिया गया।

वी. एम.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।